11

झारखंड में विकेंद्रीकरण एवं स्वशासन में जनजातीय समुदाय की स्थिति

मनीष कुमार साहु

DOI: https://doi.org/10.65651/NP.978-93-5857-988-8.2025.128-141
ISBN: 978-93-5857-988-8

सार

झारखंड पूरे देश में अपने विशेष जनजातीय संस्कृति, त्यौहार, भाषा एवं परंपराओं के लिए विख्यात है। इस राज्य में कुल 32 जनजाति समुदाय निवास करती है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 29% हैI अनुसूचित जनजाति समुदाय की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने एवं स्वशासन को सुदृढ़ करने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। जनजातीय समुदाय की परंपराओं एवं जल जंगल जमीन की रक्षा हेतु पेसा अधिनियम 1996 एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 भी बनाया गया परंतु अधिनियमों की जटिल संरचना एवं जागरूकता की कमी के कारण आज भी यह समुदाय वंचित हैं। उक्त शोध में मिश्रित विधियो का उपयोग कर पंचायत चुनाव में अनुसूचित जनजाति की भूमिका एवं स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया गया है इस शोध लेख के माध्यम से झारखंड के जनजातीय समाज की पंचायती राज संस्था, स्वशासन, सामाजिक-आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया हैI साथ ही स्वशासन को धरातल पर सुदृढ़ करने एवं जनजातियों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने हेतु आवश्यक सुझाव भी दर्शाए गए हैं।

मुख्य शब्द: जनजाति समुदाय, पंचायत, स्वशासन, पेसा अधिनियम, झारखंड

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के पश्चात से ही भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं का भी विशेष महत्व है I द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांति लाना और पंचायत को इस

परिवर्तन के लिए उत्तरदाई निकाय के रूप में स्थापित करना था। *बरला (2017)* विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन गरीब लोगों को सशक्त बनाने और सहभागी नियोजन के माध्यम से सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1993 में भारतीय संविधान में 73वां संशोधन के बाद पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के क्रम में एक मिल के पत्थर जैसा हैI विशेष कर झारखंड जैसे राज्य जहां 26.2% जनजाति निवास करती है एवं 75.95% लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। सन 2000 में बिहार से अलग होने के बाद झारखंड राज्य बना परंतु लंबे संघर्ष और बलिदान के उपरांत झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने में 10 वर्ष लग गए। पहली बार झारखंड में पंचायती राज अधिनियम 2001 बना और पहला चुनाव 2010 में हुआ। आज 21वीं सदी में भी प्रचुर मात्रा में संसाधन एवं सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण झारखंड राज्य में गरीबी, बेरोजगारी, पलायन आदि अनेक गंभीर समस्याएं विद्यमान है। इस स्थिति में पंचायती राज व्यवस्था में चुने गए स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर ग्रामीण एवं सामाजिक विकास, स्वशासन एवं अपने विकास का ढांचा स्वयं बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। चुने हुए प्रतिनिधि सरकार द्वारा बनाए जा रहे ग्रामीण विकास की नीतियों एवं योजनाओं को बनाने एवं उसे लागू करने में सामान्य मानवी और सरकार के बीच एक पुलिया का कार्य करते हैंI राज्य में प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक समृद्धि की प्रचुरता के बावजूद, आदिवासी समुदायों को गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता और अपर्याप्त आवास जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीमित स्थानीय रोजगार के अवसरों और आधुनिक कौशल के अभाव के कारण, हर साल बड़ी संख्या में आदिवासी पुरुष और महिलाएँ बेहतर आजीविका की तलाश में झारखंड से दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। भारत में लगभग 2.6 लाख पंचायतें हैं, जिनमें 31.5 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इनमें लगभग 46% महिलाएं हैं। इसके अलावा, यह प्रणाली अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे समाज के कमजोर वर्गों को भी व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। भारत के संविधान में 73वें संशोधन के तहत संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243) जोड़ा गया। इस संशोधन के परिणामस्वरूप पंचायतों की तीन-स्तरीय प्रणाली स्थापित की गई, जिसमें अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अनुसूचित जातियों (एससी) और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना 27 मई 2004 को की गई थी जिसका निम्न मुख्य उद्देश्य है:

- संविधान के भाग IX के क्रियान्वयन की निगरानी करना,
- संविधान की पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में " पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा अधिनियम)" का क्रियान्वयन करना, और
- संविधान के भाग IX-A के अनुच्छेद 243D के तहत जिला योजना समितियों को क्रियाशील बनाना।

चूंकि अधिकांश कार्यवाहियाँ, जैसे कि कानून बनाना, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, इसलिए मंत्रालय पंचायतों के कार्यों में सुधार के अपने लक्ष्यों को मुख्यतः नीतिगत हस्तक्षेप, जनजागरूकता, क्षमता निर्माण, प्रेरणा और वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता है । संविधान के अनुच्छेद 243G में यह प्रावधान है, कि पंचायतों को स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनानी और उन्हें लागू करनी चाहिए। अनुच्छेद 243ZD जिला योजना समिति की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसका कार्य ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं और शहरी क्षेत्रों की नगर निकायों द्वारा बनाई गई योजनाओं को एकीकृत कर जिला स्तर की समेकित योजना तैयार करना है। संविधान का भाग IX देश के अधिकांश क्षेत्रों में लागू होता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 243M के अनुसार कुछ क्षेत्रों को इससे छूट प्राप्त है। इनमें नगालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य तथा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पंचायती राज मंत्रालय का कुल व्यय ₹1016.42 करोड़ (जिसमें सभी योजनाएं और सचिवालय सेवाएं शामिल हैं), जिसमें से ₹980.63 करोड़ की राशि का उपयोग इस वित्तीय वर्ष में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243M(1) के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुच्छेद 244 के खंड (1) और (2) में उल्लेखित जनजातीय क्षेत्रों को संविधान के भाग IX के प्रावधानों से छूट दी गई है। हालांकि, अनुच्छेद 243M(4)(b) संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर भाग IX के प्रावधानों को उन अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू कर सकती है I

पूर्व अध्ययन की समीक्षा

सत्यम (2013), झारखंड में पंचायती राज पर शोध के उपरांत इन्होंने पाया कि झारखंड बनने के दशक बाद पहली बार 2011 में ऐतिहासिक रूप से झारखंड के पंचायत चुनाव में 55% सीटों पर महिलाएं चुनी गई। परंतु कुछ *पढ़हा* व्यवस्था के अतिरिक्त अधिकतर सीटों पर वही प्रतिनिधि चुने गए जिनके परिवार राजनीतिक रूप से सक्रिय थेI झारखंड के ज्यादातर हिस्से जहां महिलाएं प्रतिनिधि जीत कर आई उनके बीच पंचायत की शक्ति और अधिकारों की जानकारी का अभाव पाया गया । निः संदेह पंचायत चुनाव स्वशासन की राह में प्रशंसनीय कार्य है परंतु इससे सुचारू रूप से चलने हेतु लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मूल्यांकन की व्यवस्था बनानी होगी साथ ही यह समय की मांग है कि झारखंड में पेसा अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए।

किंडो एवं भौमिक (2019), इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि झारखंड में विशेष कर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में स्वशासन की परिकल्पना पूरे रूप से तभी चरितार्थ हो सकती है जब (पेसा अधिनियम 1996) पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा । इस अधिनियम के लागू होने से झारखंड के अनुसूचित जनजातियों को अपने पंचायत के वन उत्पाद, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर

स्वामित्व प्राप्त होगा। जिसके माध्यम से वह इनका उपयोग एवं प्रबंधन कर सकेंगे, परंतु पेसा अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम को लागू करने की योजना महज कुछ कागजों तक ही सिमट कर रह गई हैI राज्य सरकार को जनजातीय विकास के लिए अधिकार आधारित विकास की योजना को अपनाना चाहिए।

तालिका 11.1 : पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या एवं लिंगानुपात

	राज्य	जिला	प्रखंड	पंचायत प्रतिनिधि	कुल	महिला	पुरुष
सूचनादाताओं का विवरण	झारखंड	रांची	कांके	जिला परिषद सदस्य	2	1	1
				पंचायत समिति सदस्य	3	2	1
				सदस्य	8	4	4
				मुखिया	7	4	3
			ओरमांझी	जिला परिषद सदस्य	2	1	1
				पंचायत समिति सदस्य	3	2	1
				सदस्य	8	4	4
				मुखिया	7	4	3

(स्रोत- शोधार्थी द्वारा निर्मित)

प्रसाद (2023), इन्होंने अपने अध्ययन के माध्यम से बताया कि ग्राम सभा को दिए गए अधिकार का उपयोग जानकारी के अभाव में लोग नहीं कर पाते हैं। अतः राज्य सरकार को केंद्र और राज्य के अधिनियमों को स्थानीय भाषा जैसे संथाली, कुरुख, मुंडारी, नागपुरी, सदरी और खोरठा आदि में अनुवाद कर स्थानीय लोगों तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिएI पंचायत को वित्त आयोग द्वारा दिए जाने वाले आर्थिक सहयोग को निरंतर उपलब्ध कराना चाहिएI स्वशासन की नीतियों को निम्न स्तर से उच्च स्तर तक लागू करना चाहिए तभी जाकर के इसका वास्तविक लाभ स्थानीय लोगों को मिल पाएगा।

रॉय (2024), इन्होंने अपने शोध में पाया कि आज भारत 75 वां स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस उपलक्ष में भारत सरकार ने पंचायत में कई गतिविधियों को आकार देने का निर्णय लिया है। पंचायती राज व्यवस्था धरातल पर प्रशासनिक गतिविधियों को लागू करने के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। आज भारत में लगभग 6, 64369 गांव है और इन गांवों को सुदृढ़ करने में पंचायती राज संस्था की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं की भागीदारी भारतीय गणतंत्र को और अधिक मजबूत बनाती है।

शोध विधि - उपरोक्त शोध की प्रकृति विश्लेषणात्मक हैI उक्त शोध पूर्ण रूप से प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक आंकड़ों का संकलन विभिन्न पुस्तक, जर्नल, समाचार पत्र, शोध आलेख एवं इंटरनेट के उपयोग से संकलित किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन हेतु पंचायत चुनाव 2022 में चुने हुए 40 जनजातीय समुदाय के जनप्रतिनिधियों का चयन किया गया हैI झारखंड राज्य के रांची जिला के कांके एवं ओरमांझी प्रखंड से 20-20 सूचना दाताओं का चयन किया गया है। उपरोक्त सूचना दाताओं से प्रश्नावली, अवलोकन, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन एवं साक्षात्कार विधि के माध्यम से सूचना संकलित किया गया है।

1. झारखंड में जनजाति समुदाय- झारखंड एक जनजातीय बाहुल्य राज्य हैI 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में कुल 86.4 लाख जनजाति निवास करते हैं जो राज्य के कुल जनसंख्या का 26% है। झारखंड में जनजातियों की अपनी विशेष भाषाएँ, रीति-रिवाज, त्यौहार और परंपरा पाई जाती है। कई लोग जीव-वादी धर्म का पालन करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और सरहुल तथा कर्मा जैसे त्यौहार मनाते हैं जो कृषि चक्र का प्रतीक और वन आत्माओं का सम्मान हैI छऊ और झूमर जैसे नृत्य के रूप में अपनी परंपराओं और सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति करते हैं। परंपरागत रूप से यह समुदाय प्रकृति के बीच संबंध बिठाते हुए कृषि, शिकार, वन संरक्षण आदि का कार्य करते हैंI झारखंड में 32 जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें से आठ को विशेष रूप से सुरक्षित जनजाति समूहों (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका 11.2: झारखंड की 32 जनजातियाँ

असुर	बेदिया	चेरो	करमाली	खारिया	कोरा	मुंडा	माल पहाड़िया
बैगा	बिंझिया	गोंड	तुरी	खरवार	कोरवा	सौरिया पहाड़िया	चिक बड़ाईक
बंजारा	भूमिज	गोराईट	संथाल	खोड	लोहरा	सावरा (सओरा)	बिरजिया(बिंझिया)
बथुडी	कोल	हो	पहाड़िया	किसान	महली	बिरहोर	उराँव (कुरुख)

2.1 भारत सरकार के द्वारा पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996

भारतीय संविधान के पांचवी अनुसूची में वर्णित भारत के जनजातीय जिलों में जनजातियों को स्व-

शासन का अधिकार मिल सके इसलिए पेसा अधिनियम बनाया गया। 1992 में भाग (IX) को संविधान में एक नई अनुसूची (XI) के साथ जोड़ा गया जिसमें पंचायत के कार्यात्मक मदो के अंतर्गत 29 विषय शामिल किए गए। 73वां और 74 वां संविधान संशोधन के बाद पांचवी अनुसूची में सम्मिलित जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन के ढांचे में एक बड़ा अंतराल उभर कर आया, इन क्षेत्रों में संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता को समझते हुए 1996 में दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ। इस समिति के सुझावों के आधार पर *पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) (पेसा) अधिनियम 1996* बनाया गया जिसमें जनजातीय समुदाय के मान्यताओं रीति-रिवाज, परंपराओं के सम्मान हेतु शासन की एक विशिष्ट प्रणाली शुरू हुई। पेसा अधिनियम के तहत ग्राम सभा को कई विशेष अधिकार एवं शक्तियां दी गई हैं जैसे:

- अपने जनजातीय समुदाय की परंपराओं एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना
- स्थानीय समस्याओं का निराकरण करना
- सामाजिक संपत्ति का उपयोग, रखरखाव एवं प्रबंधन करना
- भूमि हस्तांतरण की रोकथाम करना
- ग्रामीण बाजार का प्रबंधन करना
- प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन आदि का प्रबंधन करना
- योजना, परियोजना बनाने एवं लागू करने में सहभागिता निभाना
- लघु वन उत्पादन पर स्वामित्व आदि कई अन्य जनजाति अधिकार सम्मिलित है।

तालिका 11.3: झारखंड राज्य में पूर्णतः एवं आंशिक रूप से पेसा आच्छादित क्षेत्र

	क्रम संख्या	**जिला**	**प्रखंड**	**ग्राम पंचायत**
	1	रांची	18	303
	2	खूंटी	6	86
	3	गुमला	12	159
	4	लोहरदगा	7	66
	5	सिमडेगा	10	94

पूर्णतः आच्छादित क्षेत्र	6	पूर्वी सिंहभूम	11	231
	7	पश्चिमी सिंहभूम	18	216
	8	सरायकेला खरसावां	8	136
	9	दुमका	10	206
	10	जामताड़ा	6	118
	11	पाकुड़	6	128
	12	लातेहार	9	115
	13	साहिबगंज	9	166
आंशिक आच्छादित क्षेत्र	14	गोड्डा	2	35
	15	गढ़वा	1	10
	16	पलामू	1	2
	कुल		**135**	**2074**

(स्रोत- *(पेसा) अधिनियम 1996*)

झारखंड में पांचवी अनुसूची *(पेसा)* में 16 जिला, 131 प्रखंड, 2074 पंचायत एवं 16022 गांव सम्मिलित है।

2.2 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम या *वन अधिकार अधिनियम,* 2006 - अपने व्यापक वन क्षेत्र और समृद्ध जैव विविधता के कारण झारखंड को "वनों की भूमि" के रूप में जाना जाता है। सारंडा, एशिया का सबसे बड़ा साल वन, झारखंड में स्थित है। झारखंड का वन क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.61% है, जो 23, 605 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। इसमें आरक्षित वन (18.58%), संरक्षित वन (81.28%), और अवर्गीकृत वन (0.14%) सम्मिलित हैं। वन अधिकार अधिनियम, वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के पारंपरिक भूमि और संसाधनों पर कानूनी अधिकार को मान्यता देता है, जो निम्न प्रकार से है:

* पिढियों से रह रहे वनवासी को भूमि पर स्वामित्व का अधिकार
* स्थानीय शासन को सशक्त बनाना

* वन संरक्षण एवं जैव विविधता का प्रबंधन

* वन उत्पाद के उपयोग एवं प्रबंधन का अधिकार

* सामुदायिक वन संसाधन के संरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार

2.3 झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 - यह अधिनियम झारखंड में पंचायत राज व्यवस्था को स्थापित एवं नियंत्रित करने के लिए बनाया गया इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर तक शक्ति का विकेंद्रीकरण कर स्वशासन एवं लोकतंत्र को मजबूत करना है अधिनियम के कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:

* अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के रूप में गठित है।

* ग्राम पंचायत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाती है एवं इससे संबंधित योजनाओं को लागू करने का काम करती है।

* कर लगाने एवं पंचायत का धन संग्रह हेतु निधि का गठन कर सकती है।

* पंचायती राज संस्था की कुल सीटों में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

* पंचायती राज संस्था में बजट लेखा और वित्तीय लाभ के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान है।

* पंचायत राज संस्था में ग्राम सभा सबसे मुख्य इकाई होती है जहां विकास की योजनाएं बनाई जाती है एवं बजट की समीक्षा की जाती है।

3. झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत चुनाव में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाता है। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज में 33% सीधे तौर पर महिला आरक्षण का प्रावधान है परंतु विशेषाधिकार का उपयोग करके झारखंड में 50% महिला आरक्षण लागू किया गया है। वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य (सरपंच) प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैंI साथ ही पंचायत स्तर पर उप मुखिया, प्रखंड स्तर पर प्रमुख और उप प्रमुख तथा जिला स्तर पर जिला परिषद अध्यक्ष एवं जिला परिषद उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैंI पंचायत को आर्थिक विकास एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजना बनाने का अधिकार होता हैI ग्राम सभा के माध्यम से योजना बनाना एवं उसे लागू करने हेतु अधिकार प्राप्त होते हैंI केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा वित्त आयोग के माध्यम से पंचायत को विकास कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

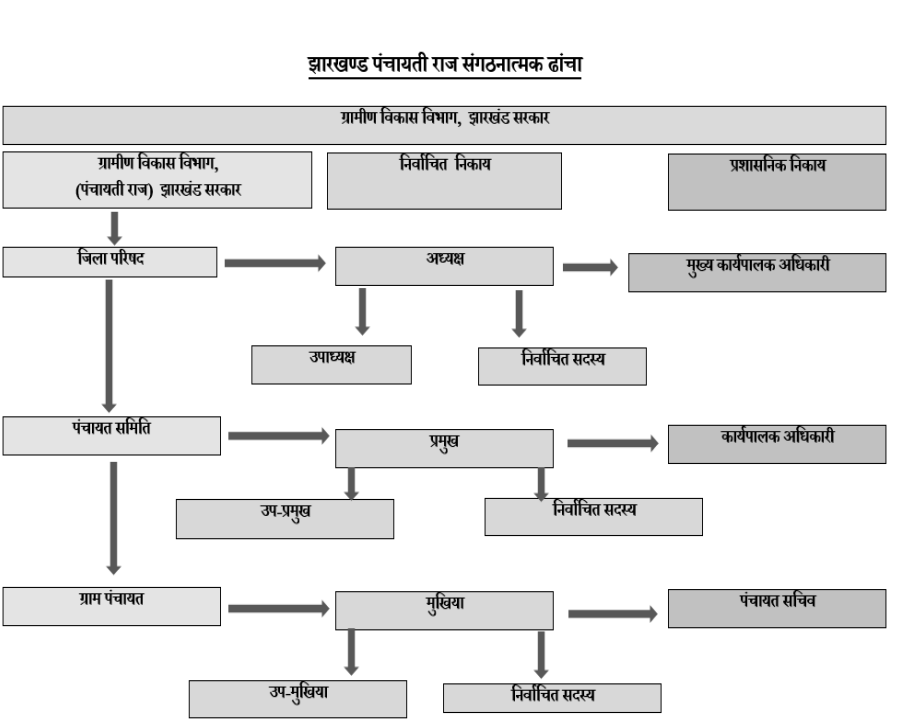

स्रोतः झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001

चित्र 11.1: झारखण्ड पंचायती राज संगठनात्मक ढांचा

झारखंड राज्य चुनाव आयोग के अनुसार झारखंड राज्य में (जिला पंचायत) जिला स्तर पर 24 प्रतिनिधि, (पंचायत समिति) प्रखंड स्तर पर 259 प्रतिनिधि और (ग्राम पंचायत) ग्राम स्तर पर 4418 प्रतिनिधि है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि झारखंड में पंचायती राज चुनाव के कुल सीटों में 33% सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। जिला परिषद सदस्य की कुल सीटों में 33%, पंचायत समिति सदस्य की कुल सीटों में 33%, वार्ड सदस्य की कुल सीटों में 32% एवं ग्राम पंचायत की कुल सीटों में 52% सीटें जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित रखी गई है।

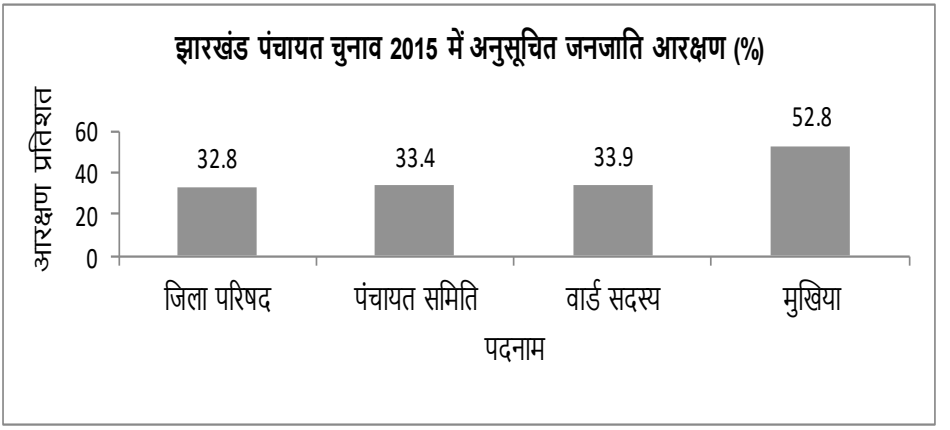

स्रोत: झारखंड राज्य चुनाव आयोग

चित्र 11.2: झारखंड पंचायत चुनाव में अनुसूचित जनजाति आरक्षण

परिणाम एवं परिचर्चा

पंचायत राज संस्था में जनजातीय समुदाय की भूमिका को गहराई से समझने एवं सूचना एकत्रित करने के लिए रांची जिले के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से विभिन्न विषयों पर सुचना एकत्रित की गई जिसके परिणाम जिस प्रकार से हैं।

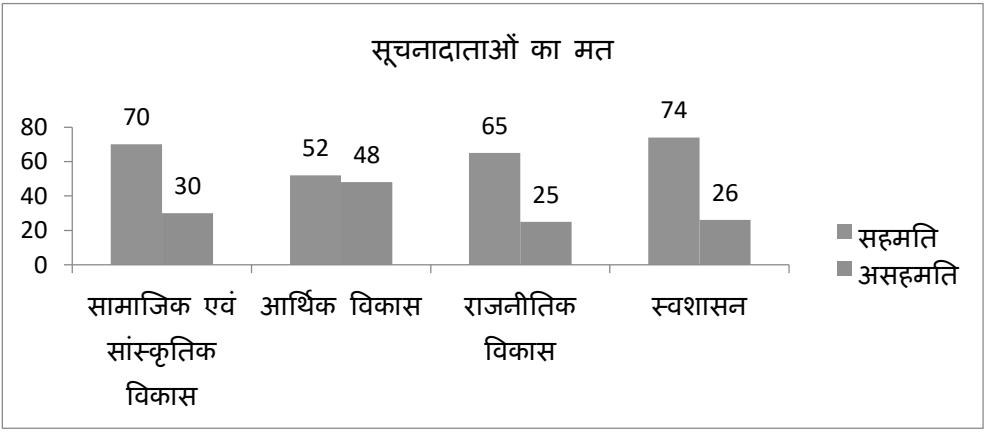

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित

चित्र 11.3: झारखंड पंचायत चुनाव 2022 में चयनित जनप्रतिनिधियों का मत

उपरोक्त ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि 70% सूचना दाताओं ने यह स्वीकार किया कि पंचायती राज व्यवस्था के कारण जनजाति समुदाय का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हुआ है परंतु 30% सूचना दाताओं का मानना है कि सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्नों पर 52% जनप्रतिनिधियों ने हामी भरी कि पिछले कुछ वर्षों में उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित हुआ है परंतु 48% जन प्रतिनिधियों ने कोई आर्थिक विकास के न होने की बात कही है।

राजनीतिक भागीदारी के विषय पर 65 प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन इस बात पर है कि पंचायत राज्य संस्था के कारण जनजातीय समुदाय के बीच राजनीतिक जागरूकता एवं भागीदारी बढ़ी है, वही 25% जनप्रतिनिधियों का मानना है कि कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं बढ़ी है। स्वशासन के विषय पर 74% जनप्रतिनिधि सहमत है परंतु 26% दिन प्रतिनिधियों का मानना है कि स्वशासन के विषय में कोई विशेष बदलाव नहीं देखने को मिलता है।

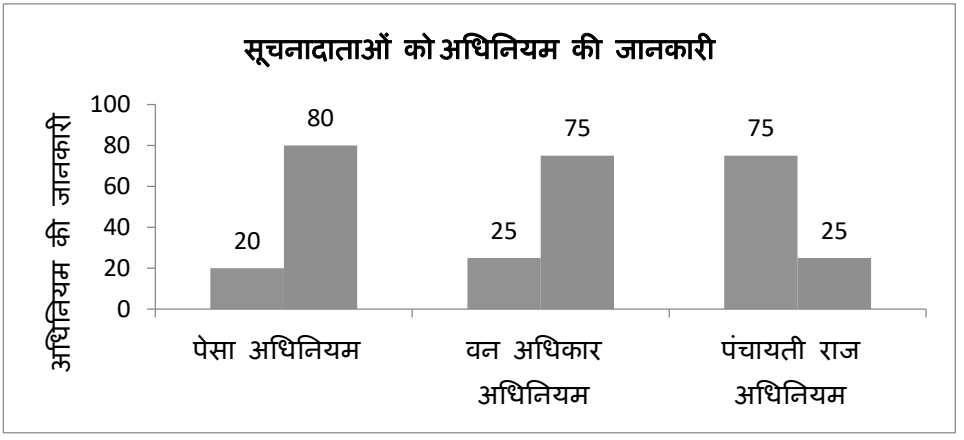

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित

चित्र 11.4: पंचायत चुनाव में चयनित जनप्रतिनिधियों की जानकारी

उपरोक्त ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि 20% प्रतिनिधियों को पेसा अधिनियम के विषय में जानकारी है वही 80% जनप्रतिनिधि को पेसा अधिनियम की कोई विषय जानकारी नहीं है। वन अधिकार अधिनियम संबंधित जागरूकता सिर्फ 25% जनप्रतिनिधियों को है साथ ही 75% जनप्रतिनिधि इस अधिनियम के प्रावधानों से अनभिज्ञ पाए गए। पंचायती राज अधिनियम के विषय में पूछने पर 75% जनप्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि उन्हें इससे संबंधित जानकारी है परंतु 25% प्रतिनिधि बनने के बाद भी इस अधिनियम के प्रावधानों से अनभिज्ञ है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

झारखंड में आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा और वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि इन कानून का उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना और भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर जनजातियों के अधिकार की रक्षा करना है परंतु धरातल पर क्रियान्वयन अपर्याप्त दिखाई पड़ता है। सार्थक परिवर्तन लाने के लिए ग्राम सभाओं को सुदृढ़ बनाना, पारंपरिक शासन संरचनाओं को बढ़ावा देना और अधिकार आधारित विकास का दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। उचित विकेंद्रीकरण और समावेशी नीतियों के साथ जनजातीय समुदाय सतत विकास में सक्रिय भागीदार बन सकते हैं जो सतत् विकास लक्ष्य के अनुरूप है, तभी सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिरता और पर्यावरणीय स्थिरता को वास्तविक रूप से सरकार किया जा सकता है। निष्कर्ष एवं सुझाव झारखंड देश का एक ऐसा राज्य है जिसे प्रकृति ने अपने संसाधन जल जंगल जमीन एवं खनिज आदि का वरदान प्राप्त है इन संसाधनों पर पहला अधिकार सदियों से उनकी पूजा प्रबंधन एवं रक्षा करने वाले स्थानीय निवासियों का होना चाहिए विशेष कर उन जनजातीय समुदाय का जिसका पूरा जीवन चक्र ही इन संसाधनों से जुड़ा हुआ है।

केंद्र और राज्य में झारखंड के अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास एवं भागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु कई अधिनियम बनाए हैं परंतु इन अधिनियमों को पूर्णत लागू करने के राह में कई समस्याएं भी विद्यमान है। स्वशासन को सुदृढ़ करने हेतु पेसा अधिनियम बनाया गया परंतु आज भी झारखंड में अधिनियम लागू नहीं हो पाया है। वन अधिकार अधिनियम बनाने के पश्चात भी वन उत्पाद वन संसाधन के उपयोग एवं प्रबंधन के में कई बार जनजातीय समुदाय एवं प्रशासन के बीच मतभेद देखने को मिलते हैं।

पंचायती राज संस्था में आरक्षण के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। विशेष कर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बहुत सकारात्मक है। यद्यपि जनप्रतिनिधियों के बीच शिक्षा अधिनियम एवं शक्तियों की जानकारी का अभाव देखने को मिलता है। पंचायती राज संस्था स्वशासन को सुदृढ़ करने में एवं समाज के वंचित वर्ग को राजनीतिक अधिकार राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने में एक बहुत ही सकारात्मक प्रयास है। समय-समय पर जनप्रतिनिधियों को अधिनियम संबंधित एवं क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने हेतु एक न्यूनतम शिक्षण योग्यता लागू करनी चाहिए। साथ ही शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को राजनीतिक व्यवस्था में जोड़ने का प्रावधान का प्रयास होना चाहिए तब जाकर स्वशासन का मूल उद्देश्य चरितार्थ हो सकता है।

सन्दर्भ

- कुमार, सत्यम (2013). स्टडी ऑफ इलेक्टेड ट्राइबल वीमेन रिप्रेज़ेंटेटिव इन पंचायत राज इंस्टिट्यूशन इन इंडिया: ए केस ऑफ झारखंड एशियन जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज़, 1(4)।

- किंडो, डी. पी., एवं भौमिक, पी. के. (2019). पंचायती राज इन शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ झारखंड एंड नेचरल रिसोर्स मैनेजमेंट. झारखंड जर्नल ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट स्टडीज, वॉल्यूम 7(2)।

- प्रसाद, सचिदानंद एवं अन्य (2023). डीसेंट्रलाइज़ेशन ऐट दी ग्रासरूट: स्टडी ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया ऑफ झारखंड, अकादमिक जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़, 22 (I), पृष्ठ-(280-292)।

- बरला, रतन जॉन (2017). रोल ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इन झारखंड स्टेट, जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड इनोवेशनल रिसर्च (आईजेटीआईआर), 4 (6), पृष्ठ (724-729)।

- रॉय, मौमिता साहा (2024), भारत में पंचायती राज संस्थाएँ: एक अवलोकन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड रिव्यू, खंड-11, अंक- 12, https://doI.org/10.52403/Ijrr.20241252

- भारतीय संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992, (भारत सरकार की साक्ष्य)।

- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996, धारा 551, (भारत सरकार की साक्ष्य)।

- झारखंड सरकार (2001). झारखंड पंचायती राज अधिनियम, झारखंड सरकार।

- नारायण, उदय (2024). पंचायती राज एंड लोकल लीडरशिप इन झारखंड, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च (आईजेएफएमआर), 6 (1)।

- तिवारी, एन. (2018). पीईएसए एवं एलडब्ल्यूई: छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा।

- https://ncst.nic.in/sites/default/files/2017/Presentation/1393.pdf
- https://www.india.gov.in/my-government/constitution india/amendments/constitution-india-seventy-third-amendment-act-1992
- https://tribal.nic.in/actRules/PESA.pdf
- https://www.xiss.ac.in/JJDMS/assets/abstrct/pdf/63b4039f4d208.pdf